न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

सत्रवाद संख्या–02 / 2015.

(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)

CNR No. BRS001-000075-2015

सरकार बनाम् मनीष कुमार सिंह व अन्य

FORM-A

In the Court of Principal Sessions Judge, Sheohar, Bihar **Present:- Sri Deepak Kumar, Principal Sessions Judge, Sheohar,** (Date of Judgment:-30-07-2026) S.Tr. No-02/2015, CNR No. BRS001-000075-2015 Tariyani P.S. Case No. 47/2012 G.R.No.-164/2012. Tr. No. 39/2014. Offence:-U/s-147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 IPC. District-SHEOHAR.	
COMPLAINANT/INFORMANT	साधना सिंह, पति–अरुण कुमार सिंह, ग्राम–बैधनाथपुर, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।
ACCUSED	01. हरिमोहन सिंह, उम्र करीब–65 वर्ष, पिता–स्व0 गंगा सिंह, 02. सागर राय, उम्र करीब–75 वर्ष, पिता–स्व0 मांझी राय, 03. महंथ राय, उम्र करीब–50 वर्ष, पिता–सागर राय, 04. मनीष कुमार सिंह, उम्र करीब–42 वर्ष, पिता–हरिमोहन सिंह, 05. विनिज कुमार साह, उम्र करीब–50 वर्ष, पिता–स्व0 पुकार साह, 06. मुनचुन सिंह, उम्र करीब–45 वर्ष, पिता–स्व0 देवनारायण सिंह, 07. गोपाल सिंह, उम्र करीब–60 वर्ष, पिता–स्व0 बिजली सिंह, 08. ब्रजकिशोर सिंह, उम्र करीब–45 वर्ष, पिता–स्व0 राजीनंदन सिंह, 09. धारी राय, उम्र करीब–65 वर्ष, पिता–स्व0 देयाली राय, 10. मो0 सबीर, उम्र करीब–60 वर्ष, पिता–स्व0 हमीद मियां, सभी निवासी ग्राम–बैजनाथपुर, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।
REPRESENTED BY COMPLAINANT/ INFORMANT	श्री सुरेश राय, विद्वान लोक अभियोजक। श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSON	श्री मनोज कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

Date of Offence	03-04-2012
Date of F. I. R.	03-04-2012
Date of Charge sheet	C.S.-179/2012, Dated-31-10-2012
Date of Cognizance	07-01-2013
Date of Framing Charges	18-01-2016
Date of Commencement of Evidence	19-10-2016
Date of which judgment is reserved	20-06-2026
Date of judgment	30-07-2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	हरिमोहन सिंह,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013	147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 IPC.	Acquitted		
02.	सागर राय,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–02/2015.
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000075-2015

सरकार बनाम् मनीष कुमार सिंह व अन्य

03.	महंथ राय,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
04.	मनीष कुमार सिंह,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
05.	विनिज कुमार साह,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
06.	मुनचुन सिंह,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
07.	गोपाल सिंह,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
08.	ब्रजकिशोर सिंह,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
09.	धारी राय,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				
10.	मो0 सबीर,	18-08-2012 14-05-2013	01-09-2012 14-05-2013				

Form-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	मो0 कलीमुल्लाह,	अ0सा0सं0–01.
02.	गणेश सिंह,	अ0सा0सं0–02.
03.	विवेक राज,	अ0सा0सं0–03. (पक्षद्रोही साक्षी)
04.	विजय कुमार साह,	अ0सा0सं0–04. (पक्षद्रोही साक्षी)
05.	सत्येन्द्र नारायण यादव,	अ0सा0सं0–05.
06.	रतन झा,	अ0सा0सं0–06. (पक्षद्रोही साक्षी)
07.	विनोद ठाकुर,	अ0सा0सं0–07. (पक्षद्रोही साक्षी)
08.	रमेश सिंह,	अ0सा0सं0–08. (पक्षद्रोही साक्षी)
09.	अरुण कुमार सिंह,	अ0सा0सं0–09.
10.	साधना सिंह,	अ0सा0सं0–10. (सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी)
11.	सुधीर कुमार सिंह,	अ0सा0सं0–11. (पक्षद्रोही साक्षी)
12.	डा0 पवन कुमार निराला,	अ0सा0सं0–12. (चिकित्सक साक्षी)

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
01.	प्रदर्श–1.	जप्ती सूची पर साक्षी रमेश सिंह का हस्ताक्षर,

02.	प्रदर्श–2.	फर्दबयान पर सूचिका साधना सिंह का हस्ताक्षर,
03.	प्रदर्श–3.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी चन्दन कुमार,
04.	प्रदर्श–3/1.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी अरुण कुमार सिंह,
05.	प्रदर्श–3/2.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी प्रियंका कुमारी,

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
01.	प्रदर्श–A	सम्पूर्ण औपचारिक प्राथमिकी की सत्यपाति प्रति तरियानी थाना कांड संख्या 27/12
02.	प्रदर्श–B	तरियानी थाना कांड संख्या 53/12 की सत्यापित औपचारिक प्राथमिकी

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

D. MATERIAL OBJECTS ; NIL

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–02/2015.
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000075-2015

सरकार बनाम् मनीष कुमार सिंह व अन्य

उपस्थित: दीपक कुमार
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर
शिवहर, दिनांक 30वीं जुलाई

सत्रवाद संख्या–02/2015
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000075-2015
सरकार
बनाम्
मनीष कुमार सिंह व अन्य

आरोप गठित अंतर्गत धारा – 147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 भारतीय दंड संहिता

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक–श्री सुरेश राय।
सूचिका के विद्वान अधिवक्ता–श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह।
विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री मनोज कुमार।

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्रवाद में कुल दस अभियुक्तगण–01. हरिमोहन सिंह, 02. सागर राय, 03. महंथ राय, 04. मनीष कुमार सिंह, 05. बिनिज कुमार साह, 06. मुनचुन सिंह, 07. गोपाल सिंह, 08. ब्रजकिशोर सिंह, 09. धारी राय एवं 10. मो0 सबीर का विचारण धारा–147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों हेतु किया गया है।

02. अभियोजन का मामला फर्दबयान पर आधारित प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सूचिका साधना सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरियानी में

तरियानी थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिये गये अपने बयान में कही है कि–आज दिनांक–03.04.2012 के समय 11:30 ए0एम0 बजे जिला शिक्षा अधीक्षक, शिवहर खाजेपुर मध्य विद्यालय के जॉच में आये थे। मैं विद्यालय की सचिव होने के नाते वहॉ पर मौजूद थी कि गॉव के मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, पुकार साह, विनिज कुमार साह, हरिन्द्र दास, कृष्ण सिंह, राजा कुमार, रमेश लाल, मुनचुन सिंह, गोपाल सिंह, सागर राय, धारी राय, ब्रजकिशोर सिंह, संत राय, महेश राय, मो0 सबीर, नजरे आलम एवं अन्य दस–पन्द्रह व्यक्ति, जिसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, वे लोग भी वहॉ मौजूद थे। जॉच में आये क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, तिरहुत प्रमंडल बारी–बारी से शिक्षकगण से जॉच के बिन्दु पर पूछताछ कर रहे थे कि इतने में मनीष कुमार एवं सभी उपरोक्त वर्णित व्यक्ति हंगामा मचाकर कहने लगे कि विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनता है, विद्यालय में कोई काम नहीं होता है, विद्यालय का पैसा उठाकर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय सचिव खा जाते हैं। इस पर मैं बोली कि जॉच हो रही है, आपलोगों को हल्ला करने की क्या जरूरत है। इतने पर सभी लोग सुनियोजित ढ़ंग से हमला कर दिये। बीच–बचाव करने मेरे पति अरुण कुमार सिंह, पुत्र–चन्दन कुमार सिंह, पुत्री–प्रियंका कुमारी आयी तो उसे भी सभी लोग ईंटा, पत्थड़, डंडा से जान मारने के नियत से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिये। मेरा दावा है कि उक्त सभी लोग नाजायज मजमा बनाकर जान मारने के नियत से मारपीट कर जख्मी कर दिये। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

03. उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012, दिनांक–03.04.2012, अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 325, 307, 353, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी के नामित उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्व मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के

पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, शिवहर के आदेशानुसार इस कांड में धारा–147, 149, 342, 323, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कृष्णनंदन सिंह, राजा कुमार, रामाशंकर प्रसाद उर्फ रमेश लाल को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए प्राथमिकी अभियुक्तों–संत राय, हरिमोहन सिंह, रौशन कुमार, सागर राय, महंत राय, मनीष कुमार, रामपुकार साह, विनिज कुमार साह, मुनचुन सिंह, हरेन्द्र दास, गोपाल सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, धारी राय, नजरे आलम, मो0 सबीर के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या–179/2012, दिनांक–31.10.2012, धारा–147, 149, 342, 323, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय के समक्ष समर्पित किया। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के द्वारा दिनांक–07.01.2013 को धारा–147, 149, 342, 323, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले को सत्य पाते हुए अपराध का संज्ञान ग्रहण किया गया।

आदेशफलक दिनांक–17.12.2014 पर वर्णित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त रौशन कुमार (जिनका विचारण सत्रवाद संख्या–153/2016 के तहत अलग से किया गया है) की ओर से उक्त तिथि को न्यायालय के समक्ष दाखिल प्रतिनिधित्व–पत्र को अस्वीकृत करते हुए, उसका बंध–पत्र खंडित करते हुए, उसका वाद पृथक करते हुए उसके विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश देते हुए शेष अन्य सभी अभियुक्तों का वाद सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द करने का आदेश दिया गया, जो अभिलेख दिनांक–08.01.2015 को विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हस्तगत कराया गया।

04. प्रस्तुत मामलें में उपरोक्त सभी अभियुक्तों–01. हरिमोहन सिंह, 02. सागर राय, 03. महंथ राय, 04. मनीष कुमार सिंह, 05. रामपुकार साह (मृतक, जिनका नाम आदेशफलक दिनांक–04.07.2025 के आलोक में प्रस्तुत वाद से विलोपित किया गया

है), 06. बिनिज कुमार साह, 07. मुनचुन सिंह, 08. गोपाल सिंह, 09. ब्रजकिशोर सिंह, 10. धारी राय एवं 11. मो0 सबीर के विरूद्व दिनांक–18.01.2016 को अंतर्गत धारा–147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे इंकार करते हुए उपरोक्त सभी अभियुक्तों ने विचारण का दावा किया।

आदेशफलक दिनांक–04.07.2025 के अनुसार प्रस्तुत वाद में आरोपपत्रित, संज्ञानित एवं आरोप गठित विचारण के कुल ग्यारह अभियुक्तों में से एक अभियुक्त–रामपुकार साह, पे0–मेवालाल साह, थाना–वैधनाथपुर, थाना–तरियानी की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम प्रस्तुत विचारण वाद से विलोपित करने का आदेश दिया गया और अब इस सत्रवाद में मात्र उपरोक्त वर्णित दस अभियुक्तों के विरूद्व विचारण किया गया।

05. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में आरोप–पत्र के कॉलम–13. में वर्णित कुल चौदह साक्षियों में से बारह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. मो0 कलीमुल्लाह, 02. अ0सा0सं0–02. गणेश सिंह, 03. अ0सा0सं0–03. विवेक राज (पक्षद्रोही साक्षी), 04. अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह (पक्षद्रोही साक्षी), 05. अ0सा0सं0–05. सत्येन्द्र नारायण यादव, 06. अ0सा0सं0–06. रतन झा (पक्षद्रोही साक्षी), 07. अ0सा0सं0–07. विनोद ठाकुर (पक्षद्रोही साक्षी), 08. अ0सा0सं0–08. रमेश सिंह (पक्षद्रोही साक्षी), 09. अ0सा0सं0–09. अरुण कुमार सिंह, 10. अ0सा0सं0–10. साधना सिंह (सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी), 11. अ0सा0सं0–11. सुधीर कुमार सिंह (पक्षद्रोही साक्षी) एवं 12. अ0सा0सं0–12. डा0 पवन कुमार निराला (चिकित्सक साक्षी) हैं।

06. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

प्रदर्श–1.	जप्ती सूची पर साक्षी रमेश सिंह का हस्ताक्षर,
प्रदर्श–2.	फर्दबयान पर सूचिका साधना सिंह का हस्ताक्षर,
प्रदर्श–3.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी चन्दन कुमार,
प्रदर्श–3/1.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी अरुण कुमार सिंह,
प्रदर्श–3/2.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी प्रियंका कुमारी,

07. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैः

प्रदर्श–A	सम्पूर्ण औपचारिक प्राथमिकी की सत्यपाति प्रति तरियानी थाना कांड संख्या 27/12
प्रदर्श–B	तरियानी थाना कांड संख्या 53/12 की सत्यापित औपचारिक प्राथमिकी

08. अ0सा0सं0–01. मो0 कलीमुल्लाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को दिन में ग्यारह/साढ़े ग्यारह बजे की घटना है। उस समय मैं मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के रूप में उर्दू पढ़ाने के लिए पदस्थापित था। उस विद्यालय की सचिव साधना देवी थी।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि उस दिन ग्रामीणों की शिकायत पर जॉच करने के लिए उस विद्यालय में जॉच दल आया था। आर.डी.डी., डी.पी.ओ., डी,ई.ओ. जॉच दल में आये थे। मैं उन तीनों में से किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ। ये लोग बारी–बारी से लोगों से पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच ग्रामीण लोग कुछ हल्ला करना शुरू किये एवं स्कूल प्रशासन की शिकायत करने लगे। उसके बाद सचिव उन ग्रामीणों के पास गई और बोली कि जॉच दल आया हुआ है एवं जॉच हो रहा है, फिर हल्ला करने की क्या जरूरत है। इसके बाद ग्रामीण लोग रोड़ाबाजी करने लगे एवं सचिव को रोड़ा एवं डंडा से मारने लगे। सचिव का बेटा चंदन कुमार, उसका पति अरुण कुमार एवं उनकी बेटी प्रियंका

कुमारी सचिव को बचाने के लिए आये तो इनलोगों को भी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किया गया। मारपीट एवं पथराव करने वालों में से मनीष कुमार, रौशन कुमार, ब्रजकिशोर सिंह, सागर राय, धारी राय, रामपुकार साह को नाम से मैं पहचाना था। ग्रामीण लोग विद्यालय में प्रवेश करके ताला बंद कर दिये, जिससे मैं, अरुण कुमार, रतन झा एवं सुधीर कुमार स्कूल के अंदर बंद हो गये। जॉच दल इस स्थिति को देखते हुए वहॉ से भाग गया। सूचना पाकर पुलिस आई और ताला तोड़कर हमलोगों को थाना लेकर गई। हमलोगों को थाना पर ही सूचना मिली कि ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय कार्यालय में आग लगा दी गई है, जिसमें सभी रजिस्टर एवं अभिलेख जल गया। घटना कारित करने वालों में करीब 20–25 व्यक्ति थे। आज अभियुक्त मनीष कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं एवं मैं शेष अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचान सकता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–खाजेपुर गॉव से बैजनाथपुर गॉव की दूरी करीब एक कि0मी0 है। मैं उस स्कूल में प्रतिदिन बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले करीब 17–18 छात्र थे, परन्तु उन बच्चों में से किसी बच्चे का नाम याद नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि जिस दिन जॉच दल आया था, उस दिन प्रधानाध्यापक विद्यालय में थे। विद्यालय में मध्याहन् भोजन बनवाने के प्रभारी सुधीर कुमार थे। घटना के दिन मॉर्निंग स्कूल चल रहा था एवं मैं सुबह साढ़े छः बजे स्कूल आ गया था और एक बजे दिन में पुलिस हमको ताला खोलकर थाना पर ले गई थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि घटना के दिन सुबह साढ़े छः बजे से लेकर एक बजे दिन तक मुझे करीब पचासों व्यक्तियों से भेंट हुई थी, जिसमें

से मैं कुछ व्यक्तियों का नाम बता सकता हूँ, जिन्हें मैं पहचाना था। मैं नहीं बता सकता कि उस स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि मेरी नजर जब पहली बार पड़ी, उस समय साधना सिंह खड़ी थी। साधना सिंह जब ग्रामीणों को समझा रही थी, तब उस समय मैं विद्यालय के बरामदा में था। जॉच दल के लोगों ने मुझसे पूछताछ किया था। विद्यालय के प्रागंण में साधना सिंह ग्रामीणों को समझा रही थी। उक्त विद्यालय में बाउंड्री वॉल है एवं उस बाउंड्री वॉल के पूरब तरफ खाली जमीन एवं उसके बाद पी0एच0डी0 की सड़क है। ग्रामीण लोग विद्यालय के प्रागंण में आकर हल्ला–गुल्ला कर रहे थे।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि रोड़ाबाजी से सचिव जख्मी हो गई थी। मैं सचिव को जख्मी अवस्था में देखा था। उनके कपड़ा में खून लगा था। वे उस समय साड़ी पहनी हुई थी, परन्तु उनकी साड़ी का रंग मैं नहीं बता सकता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि मेरे अलावे घटनास्थल पर सुधीर कुमार, अरुण कुमार, रतन झा शिक्षक थे। अन्य शिक्षक भाग गये थे। हम चारों शिक्षकों के अलावे घटना करने वाले लोग घटनास्थल पर थे। इसके अलावे वहॉ पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। हल्ला करने वाले ग्रामीणों की संख्या करीब बीस–पच्चीस होगी। उसमें कौन क्या कर रहा था, मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं नहीं बता सकता कि कौन व्यक्ति किस चीज से मारपीट कर रहा था एवं कौन व्यक्ति किसको मारा था।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि मैं घटना में शामिल जिन लोगों को पहचाना था एवं नाम बताया हूँ, उन्हें घटना के पहले से जानता–पहचानता था, क्योंकि इनलोगों से पहले मुझे भेंट–मुलाकात हुई थी। उपरोक्त व्यक्तियों,

जिनका नाम मैं बताया हूँ, उनमें से किसी ने मझसे अपने बाल–बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कहा था। मैं सिर्फ मनीष कुमार के घर पर गया हूँ एवं अन्य अन्य लोगों के घर पर नहीं गया हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि अभियुक्त मनीष कुमार सचिव साधना सिंह का सगा भतीजा है। मैं नहीं जानता कि साधना सिंह के परिवार से एवं मनीष कुमार के परिवार के बीच में जमीन का विवाद है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि मैं नहीं जानता कि उसी दिन की घटना का एक केस साधना सिंह एवं उनके पति के विरूद्व अभियुक्त रामपुकार साह ने तरियानी थाना कांड संख्या–53/2012 दर्ज करवाया है एवं उस वाद के अभियुक्त नजरे आलम ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए साधना सिंह एवं उनके पति के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–27/2012 दर्ज करवाया है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि उस दिन मैं विद्यालय में अपनी उपस्थिति बनाया था। आज से पहले इस कांड में मैं थाना पर अपना बयान दिया था। थाना में शाम में पॉच बजे मैं अपना बयान दिया था, परन्तु बयान देने की तिथि याद नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को बयान नहीं दिया था कि ग्रामीण लोग रोड़ाबाजी करने लगे एवं सचिव को रोड़ा एवं डंडा से मारपीट किये थे एवं चंदन कुमार, पति–अरुण कुमार एवं उनकी बेटी प्रियंका कुमारी उन्हें बचाने आये तो इनलोगों को भी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि मैं जिन लोगों का नाम बताया हूँ, वे सब साकिन–बैजनाथपुर के रहने वाले हैं एवं मेरा विद्यालय खाजेपुर में है। मैं नहीं बता सकता कि इस वर्ष ईद का चॉद किस तिथि को निकला था। ऐसी बात

नहीं है कि मैं जैसा बयान दिया हूँ, वैसी कोई घटना नहीं घटी एवं साधना सिंह के कहने पर मैं झूठी गवाही दिया हूँ।

09. अ0सा0सं0–02. गणेश सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–मैं पुरनहिया पंचायत का सरपंच 2006 से लगातार आज तक हूँ। खाजेपुर विद्यालय मेरे ही पंचायत में पड़ता है।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि दिनांक–03.04.2012 को दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे की घटना है। उस समय मैं साकिन–बैजनाथपुर में अपने बहन के घर गया था। मैं बहन के पास से लौट रहा था तो साकिन–खाजेपुर पुल के पास पहुॅचा तो पब्लिक हल्ला कर रही थी कि खाजेपुर स्कूल में मार हो रहा है, जो कि आपके पंचायत में है, आप जाकर देखिये, तब मैं खाजेपुर में स्थित विद्यालय में गया तो देखा कि हल्ला हो रहा है एवं सचिव साधना देवी के साथ लोग उलझे हुए थे एवं उसी कम में उनका लड़का चंदन बीच–बचाव करने लगा तो हरेन्द्र दास, पुकार साह, संत राय, महंथ राय, चंदन को बरामदा से ही लेकर कूद गया। वहॉ उपस्थित भीड़ चंदन कुमार एवं साधना सिंह पर रोड़ाबाजी करने लगी। साधना सिंह का पति अरुण कुमार एवं उनकी बेटी प्रियंका कुमारी, चंदन एवं साधना सिंह को बचाने आये तो उनलोगों को भी रोड़ाबाजी में चोट आई। मनीष कुमार सिंह, सागर राय, धारी राय, विनित कुमार सिंह, ब्रजकिशोर सिंह को मैं रोड़ा चलाने वालों में से पहचाना था। आर.डी.डी. रंजीत कुमार और उनके साथ आये लोग वहॉ से भाग गये। भीड़ चार शिक्षकों को विद्यालय के एक कमरा में बंद कर दी। उपरोक्त लोग ही इन शिक्षकों को बंद किये थे। फोन पर पुलिस वहॉ आ गई, तब मैं वहॉ से चला गया। आज अभियुक्त मनीष कुमार सिंह न्यायालय में उपस्थित हैं एवं मैं उनलोगों को भी देखकर पहचान सकता हूँ, जिनलोगों का नाम मैं उपर में कहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–सभी अभियुक्तगण मेरे ही पंचायत क्षेत्र के हैं। 2011 के चुनाव में मेरे निकटम प्रतिद्वंदी ललन भगत थे। ललन भगत साकिन–बैजनाथपुर के नहीं, बल्कि साकिन–फतहपुर का रहने वाला है। अभियुक्तगण ललन भगत के समर्थक थे या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूॅं। वोट के समय सभी अभियुक्तगण मेरे समर्थक थे।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि साकिन–बैजनाथपुर के सत्येन्द्र सिंह मेरे बहनोई हैं। सचिव साधना सिंह भी साकिन–बैजनाथपुर की रहने वाली है। मैं नहीं जानता कि साधना सिंह रिश्ता में मेरी बहन की क्या लगेगी। ऐसी बात नहीं है कि साधना सिंह मेरी बहन की देयादिन लगती है एवं मैं इस बात को जानते हुए छिपा रहा हूॅं। मैं उस दिन अपनी बहन से सिर्फ भेंट करने बैजनाथपुर गया था। वहॉं कोई जग–परोजन नहीं था।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि शिवहर से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क के किनारे ही मेरा गॉंव सरवरपुर एवं साकिन–बैजनाथपुर है। साकिन–सरवरपुर से साकिन–बैजनाथपुर की दूरी करीब डेढ़ कि0मी0 है। शिवहर – मुजफ्फरपुर सड़क पर हमेशा बड़ी–छोटी गाड़िया चलती रहती है। मैं साईकिल से लौट रहा था।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि खाजेपुर विद्यालय के पूरब में सड़क है। थोड़ा से हटकर खाजेपुर पुल पर दूकान है। वहॉं कुल चार–पॉंच दुकाने हैं। उस स्कूल के पीछे बगीचा है। स्कूल से जगदीश सिंह व्यास का घर है। स्कूल से उत्तर खाली जमीन है, परन्तु मैं नहीं जानता कि किसकी जमीन है। उस स्कूल से खाजेपुर पुल की दूरी करीब दो–तीन जड़ी है। जगदीश सिंह व्यास सपरिवार

उसी घर में रहते हैं। जगदीश सिंह व्यास के परिवार एवं खाजेपुर पुल के दुकानदारों से साधना सिंह एवं उनके परिवार से कोई झगड़ा नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि स्कूल का बरामदा करीब चार–पॉच फीट चौड़ा होगा एवं करीब चार फीट ऊंचा है। बरामदा पर करीब 50–60 व्यक्ति थे, जिनमें से मैं कुछ व्यक्तियों का नाम बता सकता हूँ। उन 50–60 व्यक्तियों में से चार–पॉच आदमी साधना सिंह से उलझे हुए थे। हल्ला के क्रम में वे लोग बरामदा से नहीं कूदे थे।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि करीब आधा–पौन घंटा तक हल्ला हुआ था। घटनास्थल पर मेरे पहुॅचने के करीब दस मिनट बाद लोग बरामदा पर से कूदे थे। करीब 20–25 व्यक्ति रोड़ा चला रहे थे। मैं नहीं बता सकता कि किसके चलाये हुए रोड़ा से किसे चोट लगी थी। आर.डी.डी. साहब जब चले गये, तब मैं भी अपने घर के लिए चल दिया। जब मैं घटनास्थल पर से चलने लगा तो भीड़ हल्ला कर रही थी कि मास्टर को लोग बंद करो। कमरा में कौन ताला लगाया था, नाम नहीं बता सकता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि इस घटना का केस ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं था। मैं तरियानी थाना में घटना की सूचना नहीं दिया था। मैं डी0एस0पी0 या एस0पी0 को भी मोबाईल से घटना की सूचना नहीं दिया था। आज से पहले इस केस में मैं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपना बयान दिया था। इसके अलावे मैं अन्य कहीं अपना बयान नहीं दिया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि साधना सिंह मेरी समर्थक एवं रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैं साधना सिंह के सिखाने पर झूठी गवाही दिया हूँ एवं मैं जैसा बयान दिया हूँ, वैसी कोई घटना नहीं घटी है एवं मेरा बयान सरासर झूठा है।

10. अ0सा0सं0–03. विवेक राज (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को करीब 11:20 से लेकर 11:30 बजे तक की घटना है। उस दिन विद्यालय की जॉच करने के लिए आर.डी.डी., डी. ई.ओ., डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एवं कुछ अन्य आये हुए थे। जॉच के लिए उस समय प्रधानाध्यापक, वरुण कुमार सिंह–सहायक शिक्षक एवं मो0 कलीमुल्लाह–सहायक शिक्षक उनलोगों के साथ करवा रहे थे। हमलोग एवं कुछ अन्य शिक्षक दूसरे क्लास रूम में बैठ गये।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि करीब 11:30 बजे हल्ला सुनकर हमलोग बाहर आये तो देखें कि विद्यालय के मुख्य द्वार पर हल्ला हो रहा था एवं करीब एक–सवा सौ लोगों की भीड़ थी, जिसमें बच्चें एवं औरते भी शामिल थी। हमलोग पश्चिम तरफ से करीब 11:30 बजे स्कूल के पीछे से निकल गये।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि दूसरे दिन विद्यालय आया तो विद्यालय में ताला लगा हुआ पाया। बाद में पता चला कि ग्रामीणों एवं विद्यालय के सचिव साधना सिंह एवं उनके पति अरुण कुमार सिंह के बीच विवाद हुआ है। इसके अलावे मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। दारोगा मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सफाई पक्ष के द्वारा किये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–विद्यालय में छुट्टी 11:30 बजे होती है। विवाद करने वाले किसी ग्रामीण का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। दूसरे दिन पता चला कि सुधीर कुमार सिंह–प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं अरुण कुमार सिंह–सहायक शिक्षक का तबादला हो गया था।

11. अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना है। उस समय मैं मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उक्त विद्यालय की जॉच करने के लिए आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं कुछ अन्य वरीय पदाधिकारी विद्यालय में आये हुए थे। मैं कुछ अन्य स्टॉफ के साथ बगल में वर्ग कक्ष में बैठा हुआ था। एकाएक विद्यालय में हल्ला हुआ, तब मैं विद्यालय के पीछे के रास्ता से वहॉ से भाग गया।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि घटना के दूसरे दिन मैं विद्यालय आया तो पता चला कि ग्रामीणों का सचिव–साधना सिंह एवं उनके पति–अरुण कुमार सिंह से विवाद हुआ था। इसके अलावे कुछ नहीं जानता हूँ। दारोगा मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

बचाव पक्ष के द्वारा किये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–अभियुक्तगण मेरे गॉव के बगल के गॉव के हैं, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूँ। जॉच के समय विद्यालय में छुट्टी हो गई थी। सचिव के पति अरुण कुमार सिंह विद्यालय में किसी पद पर नहीं हैं। विवाद करने वाले किसी ग्रामीण को मैं नहीं पहचानता हूँ।

12. अ0सा0सं0–05. सत्येन्द्र नारायण यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना है। उस वक्त मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन कमीशनर साहब के आदेशानुसार मैं, आर0डी0डी0–रंजीत सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिवहर प्रमोद कुमार के साथ मध्य विद्यालय, खाजेपुर में जॉच कर रहे

थे और हमलोग जॉच शुरू ही किये थे कि बहुत सारे लोग विद्यालय के कार्यालय में घुस गये एवं जोर–जोर से हो–हल्ला करने लगे, जिससे अफरा–तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद हम तीनों आदमी कार्यालय से बाहर निकल गये तो देखा कि बहुत सारे व्यक्ति पत्थड़ चला रहे थे। उसके बाद हमलोग जल्दी से अपनी गाड़ी में गये एवं शिवहर वापस आ गये। उसके बाद जिला पदाधिकारी के पास जाकर उन्हें हमलोग सारी बाते बताये, तब जिला पदाधिकारी, एस0पी0 साहब को फोन करके निर्देश दिये। मैं उस भीड़ में से किसी को नहीं पहचान सकता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–शिवहर से तरियानी थाना की दूरी करीब बीस किलोमीटर होगी।

13. अ0सा0सं0–06. रतन झा ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना है। उस दिन मैं मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित था एवं अरुण सिंह की पत्नी उक्त विद्यालय की सचिव थी।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि उस दिन आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं अन्य कुछ व्यक्ति उक्त विद्यालय में जॉच, विद्यालय के कार्यालय में सुधीर बाबु एवं अरुण सिंह के साथ कर रहे थे। हल्ला–गुल्ला कुछ ग्रामीण एवं अभिभावक लोग करने लगे, तब शिक्षक लोग वहॉ से भागने लगे और मैं भी भाग गया। घटना के बाद परसों होकर मैं विद्यालय आया तो मुझे कुछ नहीं पता चला कि उस दिन मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। दारोगा मेरा बयान नहीं लिए थे। मैं फरवरी, 2015 में उसी विद्यालय से अवकाश प्राप्त किया। मैं बाद में सुना था कि झगड़ा–झंझट उस दिन स्कूल पर हुआ था, परन्तु मैं नहीं सुना था झगड़ा–झंझट किसके–किसके बीच हुआ था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

बचाव पक्ष के द्वारा किये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं पहचाना था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण विद्यालय के बगल के गॉव के हैं, इसलिए मैं उन दोनों को पहचानता हूॅ।

14. अ0सा0सं0–07. विनोद ठाकुर ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूॅ एवं दरोगा मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

बचाव पक्ष के द्वारा किये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–अभियुक्तगण मेरे ग्रामीण हैं, इसीलिए मैं इन्हें पहचानता हूॅ। मैं हमेशा घर पर ही रहता हूॅ।

15. अ0सा0सं0–07. रमेश सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–इस जप्ती सूची पर यह मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श–1. अंकित किया जाता है।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि साकिन–बैद्यनाथपुर के स्व0 रामबाबु सिंह की बेटी कुसमु देवी के साथ मेरी शादी हुई है। आज से करीब एक–डेढ़ वर्ष पहले की घटना है। घटना के दिन मैं अपने घर पर था। मैं सुना था कि बैद्यनाथपुर स्थित स्कूल पर स्थानीय लोगों एवं शिक्षकों के बीच झगड़ा–झंझट हुआ था। बच्चा लोगों के खाना में गड़बड़ी होने के कारण घटना घटी थी। मैं नहीं जानता कि उस दिन बाहरी पदाधिकारी कोई वहॉ आया था या नहीं। मैं घटना के बाद दरोगाजी को नहीं देखा था। दरोगाजी मेरा बयान लिए थे। पुनः कहता है

कि दरोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे, बल्कि थाना पर बुलाकर मेरा दस्तखत एक कागज पर कराये थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सफाई पक्ष के द्वारा किये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–अभियुक्तगण मेरे बगल के गॉव के हैं, इसीलिए उन्हें पहचानता हूॅ। मेरा हस्ताक्षर सादा कागज पर दरोगाजी करवाये थे। मेरा हस्ताक्षर तरियानी थाना पर करवाया गया था। मेरे समक्ष कोई भी समान जप्त नहीं हुआ था। घटना के विषय में मैं किससे सुना था, उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बता सकता हूॅ।

16. अ0सा0सं0–09. अरुण कुमार सिंह (सूचिका के पति) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना है। मेरी पत्नी साधना सिंह मध्य विद्यालय, खाजेपुर की सचिव है। उस दिन उक्त विद्यालय की जॉच हेतु शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य तीन व्यक्ति विद्यालय में आये हुए थे एवं मेरी पत्नी भी जॉच में उक्त व्यक्तियों के साथ थी। वहॉ हो–हल्ला होने लगा। उस विद्यालय के एक घर के बाद मेरा घर है। हो–हल्ला सुनकर मेरा लड़का चंदन, उसके बाद मैं एवं उसके बाद मेरी लड़की प्रियंका कुमारी उस स्कूल पर आये। मैं जब वहॉ पहॅुचा तो मैं देखा कि मेरी पत्नी ग्रामीणों मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, सागर राय, महंथ राय, संत राय, धारी राय, नजरे आलम, हरिन्द्र दास, पुकार साह, विनिज साह, सबीर मियां, ब्रज किशोर सिंह, गोपाल सिंह, नवीन कुमार उर्फ मुनचुन, कृष्णा सिंह, रमेश लाल, राजा सिंह को समझा रही थी एवं कह रही थी कि आपलोग हल्ला मत कीजिये, जॉच होने दीजिये। वहॉ एकत्र हुए उपरोक्त ग्रामीण कह रहे थे कि सचिव एवं प्रधानाध्यापक मिलकर खिचड़ी का पैसा खा जाते हैं।

इस साक्षी ने आगे कहा है कि मेरा लड़का चंदन भी उपरोक्त व्यक्तियों को समझाने लगा तो कृष्णा सिंह एवं रमेश राय कहा कि मारो–मारो, जिस पर उपरोक्त सभी व्यक्ति, चंदन, मुझ पर एवं शिक्षकों पर ईंटा चलाने लगे। रौशन कुमार ईंटा से चंदन के सिर पर मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। प्रियंका, चंदन को बचाने गई तो हरि सिंह ईंटा से उसके नाक पर मारा, जिससे उसका नाक फट गया। मुझे मनीष कुमार ईंटा से सिर पर मारा, जिससे मेरा सिर पचक गया और मैं नाचकर वहीं गिर गया। इसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं गिरकर बेहोश हो गया था। मुझे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में होश आया एवं वहॉ पर मेरा ईलाज करीब दस दिनों तक चला था। अन्य जख्मियों का ईलाज तरियानी एवं उसके बाद वहीं मुजफ्फरपुर अस्पताल में हुआ था, यह बात मैं होश आने के बाद जाना। अस्पताल से लौटकर घर जब वापस आया तो सुना कि अभियुक्तगण उपरोक्त विद्यालय में आग लगा दिये थे। इसके अलावे मैं और कुछ नहीं सुना। आज अभियुक्त मनीष कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं एवं अन्य सभी अभियुक्तों को मैं पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–इस वाद के अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरिमोहन सिंह मेरे सगे भाई हैं। अभियुक्त मनीष कुमार एवं रौशन कुमार मेरा सगा भतीजा है। शेष सभी अभियुक्तगण मेरे ग्रामीण हैं। मेरा अपने भाईयों के साथ कागजी बॅटवारा नहीं हुआ है। बॅटवारा को लेकर बहुत विवाद चला था, परन्तु बॅटवारा को लेकर अभी कोई विवाद नहीं चल रहा है। हमलोगों का आपसी बॅटवारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–इस केस के पहले मेरी पत्नी साधना देवी ने इस वाद के अभियुक्त मनीष कुमार एवं अन्य के विरूद्व तरियानी

थाना कांड संख्या–33/2006 की थी, जिसमें अभियुक्तगण रिहा हुए थे। मैं नहीं जानता कि अभियुक्त मनीष कुमार सिंह उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्व सूचनार्थ आवेदन संख्या–73/2011 अनुमंडल दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दाखिल किया था। इस केस के अभियुक्त नजरे आलम ने इस केस के पूर्व मुझ पर एवं उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–27/2012, अंतर्गत धारा–341, 342, 323, 379/34 भा0 द0वि0 दर्ज कराया था, जिसमें अभियुक्तों की रिहाई हो गई। अभियुक्त रामपुकार साह ने उसी दिन की घटना को लेकर मुझ पर, प्रधानाध्यापक एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–53/2012 किया था, जो कि अभी श्री विशाल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में लंबित है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मेरा गॉव बैजनाथपुर एवं गॉव खाजेपुर, दो अलग–अलग गॉव है। विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव उसी गॉव का चुना जाता है, जिस गॉव में वह स्कूल है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि सचिव उसी व्यक्ति को चुना जाता है, जिनके बच्वें उस स्कूल में पढ़ते हैं। घटना के वक्त मेरा दो लड़का गुलशन कुमार–वर्ग पंचम में एवं आसीत–वर्ग षष्ठम का छात्र है। मुझे कुल पॉच लड़के हैं। गुलशन एवं आसीत की जन्म तिथि याद नहीं है। मेरी शादी 19.05.1985 को हुई थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मैं जब विद्यालय पर पहुॅचा तो वहॉ पर करीब 40/50 व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें से मैं शिक्षकों एवं ईंटा–पत्थड़ चलाने वाले व्यक्तियों का नाम जानता हूँ, परन्तु वहॉ उपस्थित भीड़ के अन्य व्यक्तियों का नाम मैं नहीं जानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मेरे घर से करीब दस बारह लग्गी की दूरी पर विद्यालय है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा घर उक्त विद्यालय से करीब एक कि0मी0 की दूरी पर दक्षिण तरफ है। उस विद्यालय से दक्षिण सूरजदेव साह घर है, उत्तर में ग्रामीण चौक, पूरब में कृष्णा साह का घर एवं पश्चिम में सरेह एवं गाछी है। सूरजदेव साह, कृष्णा सिंह एवं ग्रामीण चौक के दूकानदारों से मुझे कोई झंझट नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–याद नहीं है कि ईंटा चलाने के वक्त मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा था। ईंटा मेरे सिर पर आगे से लगी थी। मेरे ललाट पर ईंटा से जख्म हुआ था। ईंटा चलाने वालों की संख्या अठारह थी। ईंट सम्पूर्ण या ईंटा का टुकड़ा से मुझे चोट लगी थी, मैं नहीं देख सका था। याद नहीं है कि उस समय मैं कौन सा कपड़ा पहने था। मेरे कपड़े में खून नहीं लगा था। जिस समय ईंटा चल रहा था, उस समय मेरे सामने चार/पॉच व्यक्ति थे, जिसमें मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, हरेन्द्र दास का नाम याद है। मुझे मार विद्यालय के कैम्पस में लगी थी। मेरे परिवार के लोगों के अलावे अन्य किसी का जख्म नहीं हुआ था।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि इस केस में आज से पहले मैं पुलिस को बयान दिया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को बयान नहीं दिया था कि जब मैं वहॉ पहुँचा तो मैं देखा कि मेरी पत्नी ग्रामीणों–मनीष कुमार, रौशन कुमार एवं हरिमोहन सिंह को समझा रही थी एवं रौशन कुमार ईंटा से चंदन के सिर पर मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा एवं मेरा सिर पचक गया एवं मैं नाचकर वहीं गिर गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मुझे चोट लगने के बाद जमीन पर खून नहीं गिरा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं जैसा बयान दिया हूँ, वैसी कोई घटना नहीं घटी एवं मेरा बयान सरासर झूठा है एवं मैं पारिवारिक विवाद एवं ग्रामीण विवाद के कारण अभियुक्तों को इस केस में फंसा दिया हूँ।

17. अ0सा0सं0–10. साधना सिंह (सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन की है कि–मैं इस केस की सूचिका हूँ। घटना तिथि 03.04. 2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की है। जिला शिक्षा अधीक्षक, शिवहर खाजेपुर मध्य विद्यालय में जॉच के लिए आये थे। मैं विद्यालय के सचिव होने के नाते वहॉ पर मौजूद थी। जॉच में आये क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, तिरहुत प्रमंडल बारी–बारी से शिक्षकों से पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच गॉव के बहुत सारे लोग वहॉ पर आ गये और कहने लगे की विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनता है, विद्यालय में कोई काम नहीं होता है, विद्यालय का पैसा उठाकर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय सचिव खा जाते हैं। इस पर मैं बोली कि जॉच हो रही है, आपलोगों को हल्ला करने की क्या जरूरत है। इतने पर मुझ पर लोग हमला कर दिये। बीच–बचाव करने मेरे पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह तथा पुत्री प्रियंका कुमारी आई तो उन्हें भी सभी लोग ईंटा, पत्थड़, डंडा से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिये। मारपीट करने वालों में मैं किसी का नाम अभी नहीं बता सकती हूँ। काफी लोग जुट गये थे। भीड़ में किसने हमलोगों को मारपीट किया, मैंने नहीं देखा।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–हमलोग ईलाज के लिए पी0एच0सी0 तरियानी गये, जहॉ दारोगाजी आये और मेरा फर्दबयान लिया। पढ़कर सुना दिया। सही पाकर हस्ताक्षर किया। यही वह फर्दबयान है, जिस पर मेरा

हस्ताक्षर है, जिसे पहचानते हैं, जिसे प्रदर्श–02. अंकित किया जाता है। दारोगाजी ने मेरा पुनःबयान नहीं लिया था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मनीष और रौशन भतीजा है और हरिमोहन सिंह भैसुर हैं, इसलिए पहचानती हूँ। शेष मुदालह मेरे ग्रामीण हैं, इसलिए पहचानती हूँ। जॉच के समय गॉव के बहुत सारे, लगभग 500–700 आदमी जमा थे और हल्ला–हंगामा कर रहे थे। मुझ पर, मेरे पति, मेरे पुत्र चंदन कुमार एवं पुत्री प्रियंका कुमारी के साथ भीड़ में किसने धक्का–मुक्की एवं मारा, मैं नहीं देख सकी और न ही पहचानी। मैंने राजी–खुशी से सभी मुदालहों से सुलह कर लिया है। सुलहनामा पर हस्ताक्षर कर दी हूँ और न्यायालय में दाखिल की हूँ। मुदालहों के विरूद्व मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। मुदालहों को रिहा कर देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दारोगाजी को अस्पताल में किसने नाम लिखवाया, मुझे जानकारी नहीं है।

18. अ0सा0सं0–11. सुधीर कुमार सिंह (प्रधानाध्यापक, पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना आज से साढ़े सात साल पहले की है। 03 अप्रैल, 2012 का दिन था। उस समय मैं खाजेपुर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक था। ग्रामीणों के आवेदन पर विद्यालय में क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक रंजीत सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी सत्येन्द्र नारायण यादव, डी.पी.ओ. प्रमोद साहु विद्यालय में जॉच हेतु आये थे। लोगों को बुलाकर क्रमवार पूछताछ किया जा रहा था। इसी बीच शोरगुल होने लगा की विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनता है, सही ढ़ंग से काम नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल का पैसा निकालकर सचिव साधना सिंह, प्रधान शिक्षक खा जाते हैं। इस पर साधना सिंह बोली की

आपलोगों के शिकायत पर जॉच दल आया है, जॉच हो रही है, आपलोग हंगामा क्यों करते हैं। इस पर अभियुक्तगण गाली–गलौज करते हुए पथराव करने लगे। सचिव के पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह, पुत्री प्रियंका कुमारी को मारपीट कर जख्मी कर दिये और लोगों को धक्का–मुक्की किये। टेबुल उलट दिये और शिक्षक कलीमुल्लाह एवं अरुण कुमार सिंह तथा मुझे कार्यालय में बंद कर दिये। पुलिस को सूचना दिये। पुलिस आई तो हमलोगों को ताला तोड़कर बाहर निकाली, थाना ले गई पुलिस। इसी बीच मुदालहगण फिर स्कूल में आकर विद्यालय का गोदरेज तोड़कर कागजात फर्श पर बिखेड़ दिये। मैं किसी मुदालहों को नहीं पहचाना। दारोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–गुल्ला, शोरगुल के समय मैं कार्यालय में कार्यालय पदाधिकारी के समक्ष था। मैं बाहर नहीं निकला, जिस कारण किसी को नहीं देखा।

19. अ0सा0सं0–12. डा0 पवन कुमार निराला (चिकित्सक साक्षी), ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–**01. That On dated-03.04.2012 I was posted as a M.O. at P.H.C. Tariyani on that day. I examined Chandan Kumar, S/o-Arun Singh, age-25 years, Male, Village-Baijnathpur, P.S.-Tariyani, Dist.-Sheohar at 12:00 P.M. and found following injuries on his person-**

(i) Lacerated wound on forehead about 2”x1/2”x1/4”

(ii) Skretch mark on the right knee.

M.I.-Lt. Cheek mole mark.

Both the injury caused by hard blunt substance, such as brick stone.

Nature of injury-Both injury simple.

To rule out any other internal injury and further management of case the patient is being referred to S.K.M.C.H. Muzaffarpur. Further injury report if any can have from S.K.M.C.H. Muzaffarpur.

This injury report is written and signed by me. Mark as Exhibit-03.

02. On the same day I examined Arun Kumar Singh, S/o Late Ganga Singh, age-45 years, Male, Village-Baijnathpur, P.S.-Tariyani, District-Sheohar come in P.H.C. Tariyani at 01:15 P.M. and found following injuries on his person-

Injury (i) Swelling on Head 2"x1"x1/4"

(ii) Right hand ring finger cut mark about 1"x1/2"x1/4"

Both injuries caused by hard blunt substance such as bricks, stones.

Nature of injuries-Simple injury.

To rule out any other internal injury and further management of case the patient is being referred to S.K.M.C.H. Muzaffarpur. Further injury report if any can have from S.K.M.C.H. Muzaffarpur.

This injury report is written and signed by me. Mark as Exhibit-03/1.

03. On the same day I examined Priyanka Kumari, D/o Arun Singh, age-17 years, Female, Address-Baijnathpur, P.S.-Tariyani, District-Sheohar come in P.H.C. Tariyani at 12:25 P.M. and found following injuries on his person-

M.I.-Right leg wound mark.

Injury (i) Lacerated wound on nose about 1"x1/4"x1/4"

Type of injury-Hard blunt substance.

Nature-Simple.

Injury caused by hard blunt substance such as bricks & stones.

To rule out any other internal injury and further management of case the patient is being referred to S.K.M.C.H. Muzaffarpur. Further injury report if any can have from S.K.M.C.H. Muzaffarpur.

This injury report is written and signed by me. Mark as Exhibit-03/2.

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–तीनों जख्मियों का जख्म ऊंचे स्थान से गिरने पर हो सकता है। तीनों जख्मियों को S.K.M.C.H. Muzaffarpur. रेफर किये थे, परन्तु अभी तक वहॉ का जॉच रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। एस0 के0एम0सी0एच0 का जॉच रिपोर्ट संचिका पर भी नहीं है। तीनों जख्मियों का जख्म Without risk of life बनाया भी जा सकता है। जख्म का रंग मैंने वर्णित नहीं किया है। कोई जख्मी मेरे समक्ष मौजूद नहीं है। इंजरी रिपोर्ट में एज ऑफ इंजरी मैंने नहीं लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा इंजरी रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है।

20. प्रस्तुत वाद में दिनांक 17.01.2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 01. हरिमोहन सिंह, 02. सागर राय, 03. महंथ राय, 04. मनीष कुमार सिंह, 05. बिनिज कुमार साह, 06. मुनचुन सिंह, 07. गोपाल सिंह, 08. ब्रजकिशोर सिंह, 09. धारी राय एवं 10. मो0 सबीर के विरूद्व अंतर्गत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक–22.01.2026 को बयान अभिलिखित किया गया। बयान में उपरोक्त सभी अभियुक्तों के द्वारा घटना से इंकार किया गया तथा अपने–अपने को निर्दोष बताया। सफाई पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.02.2026 को सफाई साक्ष्य बंद किया गया। सफाई साक्ष्य बंद होने के उपरांत वाद को दिनांक 23.02.2026 को अंतिम बहस हेतु नियत किया गय।

21. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त सभी दस अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए सभी आरोपों को सुसंगत साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

मंतव्य

22. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया साक्षियों के बयान से घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सक ने जख्मियों के शरीर पर जख्म पाया है। अभियुक्तगण जान मारने के नियत से हमला किया थे।

23. प्रस्तुत वाद में बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि–प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा कुल बारह साक्षियों का साक्ष्य विद्वान न्यायालय के समक्ष कराया गया है, जिसमें घटनास्थल पर उपस्थित एवं चक्षुदर्शी साक्षी, जो क्रमशः अ0सा0सं0–03.

विवेक राज, अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह, अ0सा0सं0–06. रतन झा, अ0सा0सं0–07. विनोद ठाकुर, अ0सा0सं0–08. रमेश सिंह, अ0सा0स0–10. साधना सिंह (सूचिका), अ0सा0सं0–11. सुधीर कुमार सिंह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। सूचिका, जो अ0सा0सं0–10. हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में मारपीट करने वालों का नाम नहीं जानने और उन्हें नहीं देखने की बात कही है, जबकि प्रतिपरीक्षण में विचारण अभियुक्तों में से मनीष कुमार को भतीजा होने एवं हरिमोहन सिंह को अपना भैसुर होने के कारण उन्हें पहचानने की बात कहते हुए उन पर एवं उनके परिवारजन के साथ भीड़ में किसने धक्का–मुक्की किया एवं मारा, नहीं देखने और न ही पहचानने की बात कहते हुए प्रस्तुत वाद में मुदालहगण से राजी–खुशी से सुलह–सलाह कर लेने की बात कहते हुए मुकदमा को अब आगे नहीं चलाने और मुदालह को रिहा कर देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होने की भी बात कही है। चिकित्सक ने भी अपने साक्ष्य में जख्मियों के जख्म को साधारण पाते हुए उसे मानव जीवन के लिए घातक नहीं बताया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष सभी संदेहों से परे उपरोक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्व गठित आरोपों को सिद्व करने में पूर्ण रूप से असफल सिद्व हुए है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्व गठित सभी आरोपों से उन्हें निर्दोष साबित करते हुए आरोप मुक्त किया जाये।

24. उभय पक्षों के बहस सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा कुल बारह साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है, जिसमें घटनास्थल पर उपस्थित एवं चक्षुदर्शी साक्षी, जो क्रमशः अ0सा0सं0–03. विवेक राज, अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह, अ0सा0सं0–06. रतन झा, अ0सा0सं0–07. विनोद ठाकुर, अ0सा0सं0–08. रमेश

सिंह, अ0सा0स0–10. साधना सिंह (सूचिका), अ0सा0सं0–11. सुधीर कुमार सिंह हैं, को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जबकि शेष अन्य पॉच साक्षियों–अ0सा0सं0–01. मो0 कलीमुल्लाह, अ0सा0सं0–02. गणेश सिंह, अ0सा0सं0–05. सत्येन्द्र नारायण यादव, अ0सा0सं0–09. अरुण कुमार सिंह एवं अ0सा0सं0–12. डा0 पवन कुमार निराला (चिकित्सक साक्षी) हैं।

अ0सा0सं0–01. मो0 कलीमुल्लाह, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक 03.04.2012 को करीब ग्यारह–साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना होने, घटना के समय मध्य विद्यालय, खाजेपुर में उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थापित होने, साधना सिंह को उक्त विद्यालय की सचिव होने, ग्रामीणों की शिकायत पर जॉच करने के लिए आर.डी.डी., डी.पी.ओ., डी.ई.ओ. के जॉच दल के रूप में विद्यालय में आने, तीनों में से किसी व्यक्ति को नाम से नहीं जानने, उनके द्वारा लोगों से बारी–बारी से पूछताछ करने, इसी बीच ग्रामीण लोगों के द्वारा हल्ला–गुल्ला करते हुए स्कूल प्रशासन की शिकायत करने, जिस पर सचिव के द्वारा उनलोगों को समझाने, ग्रामीणों लोगों के द्वारा रोड़ाबाजी करने और सचिव को रोड़ा, ईंटा से मारने, सचिव का बेटा, पति, बेटी के द्वारा सचिव को बचाने आने पर उन सभी को भी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किये जाने, जॉच दल के द्वारा स्थिति को देखते हुए भाग जाने, सूचना पाकर पुलिस के आने, ग्रामीणों के द्वारा स्वयं एवं अन्य लोगों सुधीर सिंह, अरुण कुमार एवं एक शिक्षक, जिन्हें ताला बंद कर रखा गया था, को पुलिस के द्वारा ताला तोड़कर रूम से बाहर निकालने और थाना ले जाने, थाना में ही यह सूचना मिलने की ग्रामीणों द्वारा विद्यालय कार्यालय में आग लगा दिया गया, जिससे सभी रजिस्टर वगैरह के जल जाने, घटना कारित करने वालों में 20–25 व्यक्ति के होने, जिसमें न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मनीष कुमार को पहचानने, अन्य अभियुक्तों को भी

देखकर पहचान लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में खाजेपुर गॉव से बैजनाथपुर गॉव की दूरी करीब एक कि0मी0 दूर होने, स्कूल में प्रतिदिन बच्चों को उर्दू पढ़ाने, करीब सत्रह–अठारह बच्चों के उर्दू के छात्र होने, लेकिन उनमें से किसी बच्चें का नाम याद नहीं होने, जॉच दल के विद्यालय में आने के दिन प्रधानाध्यापक के विद्यालय में होने, विद्यालय में मध्याहन् भोजन बनवाने का प्रभारी सुधीर कुमार के होने, घटना के दिन मॉर्निंग स्कूल चलने एवं स्वयं के सुबह साढ़े छः बजे स्कूल आ जाने और एक बजे दिन में पुलिस के द्वारा उनको ताला खोलकर थाना पर ले जाने, यह नहीं बता सकने की स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है, नजर पड़ने पर साधना सिंह, विद्यालय सचिव को खड़ी होने एवं विद्यालय प्रांगन में ग्रामीणों को समझाते हुए देखने, स्वयं के उस समय विद्यालय के बरामदा में होने, जॉच दल के द्वारा उनसे पूछताछ किये जाने, विद्यालय में बाउंड्री वॉल होने एवं विद्यालय के पूरब तरफ खाली जमीन एवं उसके बाद पी.एच.डी. की सड़क होने, ग्रामीण लोगों के द्वारा विद्यालय के प्रांगण में आकर हल्ला–गुल्ला कर रहे होने, रोड़ाबाजी में सचिव को जख्मी होने एवं जख्मी अवस्था में उन्हें देखने, उनके कपड़ा में खून लगा होने, स्वयं के अलावे घटना स्थल पर सुधीर कुमार, अरुण कुमार, रतन झा–शिक्षक एवं घटना करने वालों के होने, अन्य शिक्षक के भाग गये होने, हल्ला करने वाले ग्रामीणों की संख्या लगभग बीस–पच्चीस होने, लेकिन उनमें से कौन क्या कर रहा था और किस चीज से मारपीट कर रहा था एवं कौन व्यक्ति किसको मारा, नहीं बता सकने, घटना में शामिल जिन लोगों को स्वयं के द्वारा पहचान किये एवं नाम बताये, उन्हें घटना के पूर्व से जानने–पहचानने, भेंट–मुलाकात होने, स्वयं के द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित लोगों का नाम बताये व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं से अपने बाल–बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कहने, सिर्फ मनीष कुमार के घर पर जाये होने,

अभियुक्त मनीष कुमार को सचिव साधना सिंह का सगा भतीजा होने, लेकिन यह जानकारी नहीं होने की मनीष कुमार एवं साधना सिंह के परिवार के बीच जमीन संबंधी विवाद है, यह नहीं जानने की उसी दिन की घटना का एक केस साधना सिंह एवं उनके पति के विरूद्व अभियुक्त रामपुकार साह के द्वारा तरियानी थाना कांड संख्या–53/2012 एवं इस वाद के अभियुक्त नजरे आलम के द्वारा विद्यालय भवन निर्माण के लिए साधना सिंह एवं उनके पति के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–27/2012 दर्ज करवाये जाने, घटना के दिन विद्यालय में अपना उपस्थिति बनाने, आज से पहले इस कांड में स्वयं के द्वारा थाना में शाम के पॉच बजे बयान देने, लेकिन तिथि याद नहीं होने, पुलिस के समक्ष दिये गये बयान से इनकार करने, स्वयं के द्वारा जिन लोगों का नाम बताया गया उन सभी को साकिन बैजनाथपुर के रहने वाले होने, जबकि विद्यालय खाजेपुर में होने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से विरोधाभाष उत्पन्न होता है और कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–02. गणेश सिंह, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से वर्ष 2006 से लगातार अभी तक पुरनहिया पंचायत का सरपंच होने, खाजेपुर विद्यालय उसी के पंचायत में होने, दिनांक–03.04.2012 को दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे की घटना होने, उस समय स्वयं के साकिन–बैजनाथपुर में अपने बहन के घर गये होने, बहन के पास से लौटने के क्रम में खाजेपुर पुल के पास पहुॅचने पर पब्लिक के द्वारा खाजेपुर स्कूल में मार हो रहा है होने की हल्ला करने तथा स्वयं के पंचायत में खाजेपुर स्कूल होने के कारण उन्हें वहॉ जाकर देखने के लिए कहे जाने, जिस पर स्वयं के द्वारा उक्त स्कूल में जाने पर यह देखने की स्कूल में हल्ला हो रहा है एवं

सचिव साधना सिंह के साथ लोगों के उलझे हुए होने, उसी क्रम में सचिव के लड़का चंदन कुमार के द्वारा बीच–बचाव किये जाने पर हरेन्द्र दास, पुकार साह, संत राय, महंथ राय के द्वारा चंदन को लेकर बरामद से ही लेकर कूद जाने, वहाँ उपस्थित भीड़ द्वारा चंदन कुमार एवं साधना सिंह पर रोड़ाबाजी करने लगने, साधना सिंह के पति अरुण कुमार एवं उनकी बेटी प्रियंका कुमारी, चंदन एवं साधना सिंह को बचाने आने पर उनलोगों को भी रोड़ाबाजी में चोट आने, मनीष कुमार सिंह, सागर राय, धारी राय, विनित कुमार सिंह, ब्रजकिशोर सिंह को स्वयं के द्वारा रोड़ा चलाने वालों में से पहचानने, आर.डी.डी. रंजीत कुमार और उनके साथ आये लोगों के वहाँ से भाग जाने, भीड़ के द्वारा चार शिक्षकों को विद्यालय के एक कमरा में बंद कर देने, उपरोक्त लोगों के द्वारा ही इन शिक्षकों को बंद किये जाने, फोन पर पुलिस के वहाँ आने, तब स्वयं के वहाँ से चले जाने, न्यायालय में उपस्थित मनीष कुमार सिंह को पहचानने एवं अन्य लोगों को पहचान सकने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में सभी अभियुक्तगण के स्वयं के पंचायत क्षेत्र के होने, साकिन–बैजनाथपुर के सत्येन्द्र सिंह को स्वयं का बहनोई होने, सचिव–साधना सिंह को भी साकिन–बैजनाथपुर की होने, यह नहीं जानने की साधना सिंह रिश्ते में उसकी बहन की देयादिन लगती है, शिवहर से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क के किनारे स्वयं का गाँव सरवरपुर एवं साकिन बैजनाथपुर होने, घटनास्थल वाली स्कूल की चौहद्दी बताने, खाजेपुर पुल के दुकानदारों से साधना सिंह एवं उनके परिवार से कोई झगड़ा नहीं होने, स्कूल का बरामदा करीब चार फीट चौड़ा एवं चार फीट ऊंचा होने एवं बरामदा पर करीब पचास–साठ व्यक्ति के होने, जिनमें से चार–पाँच व्यक्ति के साधना सिंह से उलझे हुए होने, हल्ला के क्रम में उन लोगों के बरामद से नहीं कुदने, करीब आधा–पौन

घंटा तक हल्ला होने, घटनास्थल पर स्वयं के पहुॅचने के करीब दस मिनट बाद लोग के बरामद पर से कुदने, यह नहीं बता पाने की किसके चलाये हुए रोड़ा से किसको चोट लगी, आर.डी.डी. साहब के जाने के बाद स्वयं के द्वारा भी अपने घर चल देने, घटनास्थल से चलने के समय भीड़ के द्वारा मास्टर साहब को बंद करने का हल्ला करने, कमरा में कौन ताला लयाया, उसका नाम नहीं बता पाने, इस घटना का केस ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं होने, स्वयं के द्वारा घटना की सूचना तरियानी थाना, डी0एस0पी0 या एस0पी0 को मोबाईल से नहीं देने, आज के पहले इस केस में स्वयं के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपना बयान दिये जाने, इसके अलावे अन्य कही अपना बयान नहीं देने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी विरोधाभाष उत्पन्न होता है, क्योंकि इस साक्षी ने जहॉ अपने मुख्य परीक्षण में विचारण किये गये अभियुक्तों में से दो–तीन अभियुक्तों का नाम रोड़बाजी चलाने एवं शिक्षकों को कमरा में बंद किये जाने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है, वहीं प्रतिपरीक्षण में इससे इनकार किया है।

अ0सा0सं0–03. विवेक राज, जिसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से घटना 03.04.2012 की लगभग साढ़े ग्यारह बजे की होने, उस दिन विद्यालय जॉच के लिए आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं डी.पी.ओ. एवं कुछ अन्य के आने, उस समय प्रधानाध्यापक, वरूण कुमार सिंह एवं मो0 कलीमल्ला सहायक शिक्षक के साथ जॉच करा रहे होने, स्वयं तथा दूसरे शिक्षक के बगल वाले क्लास रूम में बैठे होने, करीब 11:30 बजे हल्ला सुनकर सभी के बाहर आने, उस समय विद्यालय के मुख्य द्वार पर हल्ला होने एवं करीब 100–125 लोगों की भीड़ होने, जिसमें औरत–बच्चों के शामिल होने, स्वयं एवं अन्य के पश्चिम तरफ से करीब 11:30 बजे पीछे से निकल जाने, दूसरे दिन विद्यालय

आने पर ताला लगा होने, ग्रामीण एवं सचिव साधना सिंह एवं उनके पति अरुण कुमार सिंह के बीच विवाद होने की बात पता चलने, इसके अलावे घटना के विषय में और कुछ नहीं जानने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में विद्यालय में 11:30 बजे छुट्टी होने, विवाद करने वाले किसी ग्रामीण का नाम नहीं बता सकने, सुधीर कुमार सिंह–प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं अरुण कुमार सिंह–सहायक शिक्षक का तबादला हो जाने की बात दूसरे दिन पता चलने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक 03.04.2012 की 11:30 बजे दिन की घटना होने, घटना के समय मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित होने, उस दिन विद्यालय में जॉच हेतु आर.डी.डी., डी.ई.ओ., डी.पी.ओ. एवं अन्य पदाधिकारीगण के आने, स्वयं एवं अन्य स्टॉफ के बगल वाले कमरा में बैठे होने एवं प्रधानाध्यापक के कक्ष में जॉच चल रहे होने, हल्ला होने पर बाहर निकलने एवं काफी भीड़ देखने, डर कर पीछे के गेट से बाहर भाग जाने, कल होकर विद्यालय आने पर यह पता चलने की ग्रामीणों एवं सचिव साधना सिंह एवं उनके पति अरुण कुमार सिंह में विवाद हुआ है, इसके अलावा स्वयं के और कुछ नहीं जानने एवं दारोगाजी के द्वारा स्वयं का बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानने, मुदालह लोग के विद्यालय में हल्ला–हंगामा करने वालों में नहीं होने, गॉव के शिक्षक होने के नाते मुदालह लोगों को पूर्व से जानने–पहचानने, न्यायालय के नोटिस पर

गवाही देने आने एवं दारोगा के समक्ष कोई बयान नहीं देने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–05. सत्येन्द्र नारायण यादव, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना होने, उस वक्त स्वयं के जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित होने, उस दिन कमीशनर साहब के आदेशानुसार स्वयं, आर.डी.डी.–रंजीत सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिवहर–प्रमोद कुमार के साथ मध्य विद्यालय, खाजेपुर में जॉच करने के लिए जाने, उक्त विद्यालय के कार्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ जॉच कर रहे होने एवं जॉच शुरू करते ही बहुत सारे लोगों के विद्यालय के कार्यालय में घुस जाने एवं जोर–जोर से हो–हल्ला करने लगने, जिससे अफरा–तफरी का माहौल बन जाने, उसके बाद स्वयं सहित तीनों आदमी के कार्यालय से बाहर निकलने पर बहुत सारे व्यक्तियों को पत्थड़ चलाते हुए देखने, उसके बाद जल्दी से स्वयं के गाड़ी में जाने एवं शिवहर वापस आकर एवं जिला पदाधिकारी के पास जाकर सारी बात बताने, तब जिला पदाधिकारी के द्वारा एस0पी0 को फोन कर निर्देश देने, स्वयं के द्वारा उस भीड़ में से किसी को नहीं पहचान पाने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी घटना के संबंध में तथा उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई भी स्पष्ट तथ्य प्रकाश में नहीं आता है।

अ0सा0सं0–06. रतन झा, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से अप्रैल 2012 को दिन के 11:30 बजे दिन की घटना होने, घटना के समय स्वयं के मध्य विद्यालय, खाजेपुर में

शिक्षक के रूप में पदस्थापित होने एवं अरुण सिंह की पत्नी को उक्त विद्यालय की सचिव होने, उस दिन आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं अन्य कुछ व्यक्ति के उक्त विद्यालय की जॉच, विद्यालय के कार्यालय में सुधीर बाबू एवं अरुण सिंह के साथ कर रहे होने, ग्रामीण एवं अभिभावक के द्वारा हल्ला–गुल्ला करने लगने, तब शिक्षक लोग के वहॉ से भागने लगने और स्वयं के भी वहॉ से भाग जाने, घटना के बाद परसो होकर स्वयं के विद्यालय आने पर कुछ नहीं पता चलने कि उस दिन उनके जाने के बाद क्या हुआ, दारोगा के द्वारा स्वयं का बयान नहीं लेने, फरवरी 2015 में उसी विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी व्यक्ति के नहीं पहचानने एवं न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है, जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–07. विनोद ठाकुर, जिन्हें भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से घटना के विषय मे कुछ नहीं जानने एवं दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी व्यक्ति के नहीं पहचानने एवं न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–08. रमेश सिंह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर

की पहचान कर उसे प्रदर्श–1. अंकित किये जाने, घटना के दिन अपने घर पर होने, घटना के बारे में सुने जाने, दारोगाजी के द्वारा बयान लेने, पुनः दारोगाजी द्वारा उसका बयान नहीं लेने, बल्कि थाना पर बुलाकर सादा कागज पर उसका हस्ताक्षर कराये जाने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में भी अभियुक्तगण को गॉव के बगल गॉव के होने के कारण पहचानने, स्वयं का हस्ताक्षर तरियानी थाना पर दारोगाजी के द्वारा कराने, स्वयं के समक्ष कोई भी सामान जप्त नहीं होने, घटना के विषय में किससे सुना था, उस व्यक्ति का नाम स्वयं के द्वारा नहीं बता पाने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से विरोधाभाष उत्पन्न होता है और इस साक्षी के साक्ष्य से घटना के संबंध में तथा उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आता है।

अ0सा0सं0–09. अरुण कुमार सिंह, जो प्रस्तुत वाद की सूचिका के पति हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना होने, अपनी पत्नी साधना सिंह (अ0सा0सं0–07, सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी) के मध्य विद्यालय, खाजेपुर की सचिव होने एवं घटना के दिन उक्त विद्यालय की जॉच हेतु शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य तीन व्यक्ति के विद्यालय में आये होने, जिनके साथ अपनी पत्नी साधना सिंह के भी साथ में होने, वहॉ पर हल्ला–हंगामा होने, उस विद्यालय के एक घर के बाद स्वयं का घर होने, हो–हल्ला सुनकर अपने लड़का चंदन, उसके बाद स्वयं एवं उसके बाद अपनी लड़की प्रियंका कुमारी के उक्त स्कूल पर आने, स्वयं के द्वारा वहॉ पहुॅचने पर अपनी पत्नी के द्वारा विचारण अभियुक्त सहित प्राथमिकी में वर्णित एवं वहॉ पर उपस्थित अन्य ग्रामीणों को समझा रहे होने एवं हल्ला नहीं करने के बात कहने, जॉच होने देने, एकत्रित ग्रामीणों द्वारा सचिव एवं प्रधानाध्यापक के द्वारा मिलकर खिचड़ी का पैसा खा जाने, स्वयं के

लड़का चंदन के द्वारा भी उपरोक्त व्यक्तियों को समझाने पर कृष्णा सिंह एवं रमेश राय के द्वारा उसे मारे जाने के लिए कहने पर वहाॅ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के द्वारा चंदन, स्वयं पर एवं शिक्षकों पर ईंटा चलाने लगने, रौशन कुमार के द्वारा ईंटा से चंदन के सिर पर मारने, जिससे उसके सिर से खून बहने लगने, प्रियंका के द्वारा चंदन को बचाने जाने पर हरि सिंह के द्वारा ईंट से उसके नाक पर मारने, जिससे उसका नाक फट जाने, स्वयं को मनीष कुमार के द्वारा ईंटा से सिर पर मारने, जिससे स्वयं का सिर पचक जाने और वहीं पर गिर जाने, इसके बाद क्या हुआ, स्वयं के द्वारा नहीं देखने, क्योंकि गिरकर स्वयं के बेहोश हो जाने, स्वयं को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होश आने और वहाॅ पर करीब दस दिन ईलाज चलने, अन्य जख्मियों का ईलाज तरियानी एवं उसके बाद मुजफ्फरपुर अस्पताल में होने, यह बात स्वयं के होश में आने के बाद जानने, अस्पताल से लौटकर घर वापस आने पर अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त विद्यालय में आग लगा दिये जाने की बात सुनने, इसके अलावे और कुछ नहीं सुनने, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मनीष कुमार एवं अन्य सभी अभियुक्तों को पहचानने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में इस वाद के अभियुक्त–हरि सिंह, हरिमोहन सिंह को स्वयं के सगा भाई होने, अभियुक्त–मनीष कुमार एवं रौशन कुमार को स्वयं का सगा भतीजा होने, शेष अन्य सभी अभियुक्तगण को ग्रामीण होने, स्वयं के अपने भाईयों के साथ जमीन का कागजी बॅटवारा नहीं होने, बॅटवारा को लेकर काफी विवाद चलने, परन्तु बॅटवारा को लेकर अभी कोई विवाद नहीं चल रहा होने, आपसी बॅटवारा अभी तक क्लियर नहीं होने, इस केस के पहले अपनी पत्नी साधना देवी (प्रस्तुत वाद की सूचिका) के द्वारा इस वाद के अभियुक्त मनीष कुमार एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–33/2006 दर्ज कराने, जिसमें अभियुक्तगण के रिहा होने, यह

नहीं जानने की अभियुक्त मनीष कुमार सिंह के द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्व सूचनार्थ आवेदन संख्या–73/2011 अनुमंडल दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दाखिल किये जाने, इस केस के अभियुक्त नजरे आलम के द्वारा इस केस के पूर्व उनके एवं उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–27/2012, अंतर्गत धारा–341, 342, 323, 379/34 भा0द0वि0 दर्ज कराये जाने, जिसमें अभियुक्तों की रिहाई हो जाने, अभियुक्त रामपुकार साह के द्वारा उसी दिन की घटना को लेकर उनके, प्रधानाध्यापक एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–53/2012 दर्ज कराने, जो अभी श्री विशाल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में लंबित होने, स्वयं का गॉव खाजेपुर एवं बैजनाथपुर, दो अलग–अलग गॉव में होने, यह नहीं जानने की विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव उसी गॉव के होने एवं जिनके दो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हो के होने, स्वयं को कुल पॉच लड़के होने, विद्यालय पर स्वयं के पहुॅचने पर वहॉ करीब 40–50 व्यक्ति के उपस्थित होने, जिसमें से स्वयं के द्वारा सिर्फ शिक्षकों एवं ईंटा–पत्थड़ चलाने वाले व्यक्तियों का नाम जानने, वहॉ उपस्थित भीड़ के अन्य व्यक्तियों का नाम नहीं जानने, स्वयं के घर से करीब दस–बारह लग्गी की दूरी पर उक्त विद्यालय के होने, विद्यालय की चौहद्दी बताने, ग्रामीण चौक के दुकानदारों से स्वयं का कोई झगड़ा–झंझट नहीं होने, यह याद नहीं होने की ईंटा चलाने के वक्त वे किस दिशा में मुॅह करके खड़े होने, ईंटा स्वयं के सिर पर आगे से लगने, ललाट पर ईंटा से जख्म होने, ईंटा चलाने वालों की संख्या अठारह होने, सम्पूर्ण ईंटा या टुकड़ा से स्वयं को चोट लगा, नहीं देख सकने, उस समय कौन कपड़ा पहने थे, याद नहीं होने, स्वयं के कपड़े में खून नहीं लगा होने, जिस समय ईंटा चल रहा था, उस समय स्वयं के सामने चार/पॉच व्यक्ति–मनीष कुमार, रौशन

कुमार, हरिमोहन सिंह, हरेन्द्र दास का नाम याद होने, विद्यालय कैम्पस में स्वयं को मार लगने, अपने परिवार के लोगों के अलावे अन्य किसी को जख्म नहीं होने, इस केस में आज से पहले पुलिस को बयान देने, पुलिस में दिये गये बयान से इनकार करने, स्वयं के चोट लगने के बाद जमीन पर खून नहीं गिरने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी विरोधाभाष उत्पन्न होता है, क्योंकि इस साक्षी ने जहॉ अपने मुख्य परीक्षण में कृष्णा सिंह एवं रमेश राय (प्राथमिकी के नामित अभियुक्त, लेकिन इस विचारण वाद के अभियुक्त नहीं) के कहने पर उपरोक्त सभी व्यक्ति एवं चंदन (इस विचारण वाद के अभियुक्त नहीं), उन पर एवं शिक्षकों पर ईंटा चलाने लगने एवं रौशन (इस विचारण वाद के अभियुक्त नहीं) ईंटा से चंदन (सूचिका एवं इस साक्षी का पुत्र) के सिर पर मारने, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा, की बात कहा है, वहीं प्रतिपरीक्षण में इससे इनकार करते हुए रौशन को अपना सगा भतीजा होने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–10. साधना सिंह, सूचिका, जिन्हें भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से दिनांक 03.04.2012 को करीब 11:30 बजे दिन की घटना होने, जिला शिक्षा अधीक्षक, शिवहर के खाजेपुर मध्य विद्यालय में जॉच के लिए आये होने, स्वयं के विद्यालय सचिव होने के नाते वहॉ पर मौजूद होने, जॉच में आये क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, तिरहुत प्रमंडल के द्वारा बारी–बारी से शिक्षकों से पूछताछ करने, इसी बीच गॉव के बहुत सारे लोगों को वहॉ पर आ जाने और यह कहने की विद्यालय में कोई काम नहीं होता है,

खिचड़ी नहीं बनता है और विद्यालय का पैसा उठाकर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय सचिव खा जाते हैं, की बात कहने, इस पर स्वयं के द्वारा उनसे यह कहने की जॉच हो रही है तो आपलोगों को हल्ला करने की क्या जरूरत है, इतने पर उन सभी के द्वारा उन पर हमला कर देने, बीच–बचाव करने पर उनके पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह तथा पुत्री प्रियंका कुमारी पर भी सभी लोगों के द्वारा ईंटा, पत्थड़, डंडा से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर देने, मारपीट करने वालों में से किसी का नाम अभी नहीं बता सकने, काफी लोगों के जुटने, भीड़ में किसने उनलोगों को मारपीट किया, स्वयं के द्वारा नहीं देखने, ईलाज के लिए पी0एच0सी0, तरियानी जाने, जहाँ दारोगा के आने और उसका फर्दबयान लेने, पढ़कर सुना देने, जिसे सही पाकर अपना हस्ताक्षर कर देने और अपने हस्ताक्षर की पहचान कर उसे प्रदर्श–2. अंकित किये जाने, दारोगा के द्वारा उसका पुनःबयान नहीं लेने की बात कही है, जबकि प्रतिपरीक्षण में मनीष और रौशन को भतीजा एवं हरिमोहन सिंह को भैसूर होने के कारण पहचानने तथा शेष मुदालह को ग्रामीण होने के कारण पहचानने, जॉच के समय गॉव के बहुत सारे लगभग 500–700 आदमी के जमा होने एवं हल्ला–हंगामा करने, स्वयं एवं उनके परिवार के साथ भीड़ में किसने धक्का–मुक्की किया एवं मारा, नहीं देख पाने और न ही पहचान पाने, राजी–खुशी से सभी मुदालहों से सुलह कर लेने एवं सुलहनामा पर हस्ताक्षर कर न्यायालय में दाखिल करने, मुदालह के विरूद्व मुकदमा आगे नहीं चलाने एवं मुदालह के रिहा होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होने, दारोगाजी को अस्पताल में किसने नाम लिखवाया, उसकी जानकारी उन्हें नहीं होने की बात कही है। इस प्रकार इस सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे

कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–11. सुधीर कुमार सिंह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से घटना आज से साढ़े सात पहले दिनांक 03 अप्रैल, 2012 की होने, उस समय स्वयं के मध्य विद्यालय खाजेपुर में प्रधानाध्यापक होने, ग्रामीणों के आवेदन पर विद्यालय में क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक रंजीत सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सत्येन्द्र नारायण यादव, डी.पी.ओ. प्रमोद साहु के जॉच हेतु आने और लोगों को बुलाकर क्रमवार पूछताछ किये जाने, इसी बीच शोरगुल होने की विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनने, सही ढ़ंग से काम नहीं होने, स्कूल में पढ़ाई नहीं होने, स्कूल का पैसा निकालकर सचिव साधना सिंह, प्रधान शिक्षक के खा जाने, इस पर साधना सिंह के बोलने की आपलोगों की शिकायत पर जॉच दल के आने और उनके द्वारा जॉच किया जा रहा है तो हंगामा क्यों करते हैं, इस पर अभियुक्तगण के द्वारा गाली–गलौज करते हुए पथराव करने लगे, सचिव के पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह, पुत्री प्रियंका कुमारी को मारपीट कर जख्मी कर देने और लोगों से धक्का–मुक्की कर टेबुल उलट देने और शिक्षक कलीमुल्लाह, अरुण कुमार सिंह एवं स्वयं को कार्यालय में बंद कर देने, पुलिस को सूचना देने पर पुलिस के आने एवं ताला तोड़कर सभी को बाहर निकालकर थाना ले जाने, इसी बीच मुदालहगण के द्वारा फिर स्कूल में आकर विद्यालय का गोदरेज तोड़कर कागजात फर्श पर बिखेड़ देने, स्वयं के द्वारा किसी मुदालह को नहीं पहचानने एवं दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–गुल्ला, शोरगुल के समय स्वयं को कार्यालय में कार्यालय पदाधिकारी के समक्ष होने, बाहर नहीं निकलने, जिससे किसी को नहीं देखने, की बात कहा है। इस

प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है, जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालहगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–12. डा0 पवन कुमार निराला, जिन्होंने प्रस्तुत वाद के जख्मियों का ईलाज किया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से प्रस्तुत वाद के तीनों जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का बताते हुए, उक्त जख्म प्रतिवेदनों पर किये गये अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान कर उसे क्रमशः प्रदर्श–3, प्रदर्श–3/1 एवं प्रदर्श–3/2. अंकित कराया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में तीनों जख्मियों के जख्म को ऊंचे स्थान से गिरने पर भी हो सकने और उक्त जख्मों को मानव जीवन के लिए कोई खतरा होना नहीं बताया है। इस प्रकार इस चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से यह तो परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत वाद के जख्मियों को जख्म कारित हुआ, लेकिन वह जख्म मुदालहगण के द्वारा ही कारित कृत्य से ही हुआ हो, इस संबंध में कोई ठोस तथ्य परिलक्षित नहीं होता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों, वाद की प्रकृति, पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन/अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तुत वाद के विचारण के कुल दस अभियुक्तों के द्वारा ही घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट रूप से तथ्य सामने नहीं आया है और इन सभी दसों अभियुक्तों के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष उपरोक्त दसों अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सभी संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी दसों अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने के योग्य हैं। तदनुसार आदेश

पारित किया जाता है–

आदेश

26. अतः उपरोक्त नामित सभी दस अभियुक्त–01. हरिमोहन सिंह, 02. सागर राय, 03. महंथ राय, 04. मनीष कुमार सिंह, 05. बिनिज कुमार साह, 06. मुनचुन सिंह, 07. गोपाल सिंह, 08. ब्रजकिशोर सिंह, 09. धारी राय एवं 10. मो0 सबीर को भारतीय न्याय संहिता की धारा–147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 में दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें तथा उनके जमानतदारों को उनके बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद
आज दिनांक 30.07.2026. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्विकृत
ह0/–
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–30.07.2026.

ह0/–
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–30.07.2026.

Date of Judgment	30.07.2026
Date of Reserving Judgment	20.06.2026
Uploading Date	30.07.2026
Uploaded By	Sanjeev Kumar, (Steno)